न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 968–एक/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 24–09–2011 पारित द्वारा न्यायालय अपर कलेक्टर जिला राजगढ़ द्वारा प्रकरण कमांक 59/अ–19/2009–10/स्व0निग0

माधुलाल मृत पुत्र रुगनाथ द्वारा वारिसान
कवंरलाल पुत्र माधुलाल बलाई
निवासी ग्राम कंडेली छापीहेडा
तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ म0प्र0

..... आवेदक

विरूद्ध

1– म0प्र0शासन
2– पूरा पुत्र लाला मृत वारिसान
जगदीश पुत्र पूरा बलाई
निवासी ग्राम कंडेली छापीहेड़ा तहसील खिलचीपुर
जिला राजगढ़ म0प्र0

..... अनावेदकगण

.....

श्री एम0के0सक्सैना, अभिभाषक, आवेदक
एकपक्षीय – अनावेदक क्र0 2

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 14/11/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर कलेक्टर जिला राजगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–09–2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम छापीहेड़ा में स्थित भूमि कमांक 119/2/2/1 रकबा 0.405 हेक्टेयर भूमि का भूमि स्वामी आवेदक है । आवेदक ने उपरोक्त भूमि अनावेदक कमांक 2 स्व0 पूरा आत्मज लाला बलाई से रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 21–3–1994 को कय कर कब्जा प्राप्त किया था जिसके आधार पर आवेदक का

नामान्तरण राजस्व अभिलेख में भूमि स्वामी के रूप में अंकित हुआ । जिसपर आवेदक काबिज चला आ रहा है । पटवारी तहसीलदार के प्रतिवेदन के आधार पर संहिता की धारा 165(7) ख का उल्लघंन मानते हुये प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रकरण कमांक 5–बी/121/2000–01 में पारित आदेश दिनांक 20–5–2002 द्वारा उक्त भूमि शासकीय घोषित करने के आदेश दिये । जिसकी निगरानी अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के समक्ष प्रस्तुत हुई जो प्रकरण कमांक 155/निगरानी/2001–02 पर दर्ज की जाकर विचाराधीन पारित आदेश दिनांक 2–12–02 द्वारा निरस्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि यदि भू–राजस्व संहिता की धारा 165(7)ख का उल्लंघन हुआ हो तो प्रकरण स्वमेव निगरानी में लेकर नामान्तरण निरस्त करने की कार्यवाही करें । अपर जिलाध्यक्ष ने पट्टे का मूल प्रकरण बुलाये बिना तथा बिना युक्तियुक्त जॉच किये त्रुटिपूर्ण कार्यवाही मृत व्यक्ति के विरूद्ध एकपक्षीय कर अनावेदक का नामान्तरण आदेश दिनांक 24–9–11 द्वारा दिये । अपर कलेक्टर जिला राजगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–09–2011 से व्यथित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्को में मुख्य रूप से यह बताया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर भी जॉच नहीं की है कि अनावेदक कमांक 2 को किस प्रकार पट्टा दिया गया । पट्टे का मूल प्रकरण भी अधीनस्थ न्यायालय ने तलब नहीं किया । मात्र पटवारी तहसीलदार के प्रतिवेदन के आधार पर आवेदक का नामान्तरण स्वमेव निगरानी में निरस्त नहीं किया जा सकता । विवादित भूमि 19/2 रकबा 5 बीघा 4 विस्वा नीलामी में अनावेदक के पिता स्व0 लाला ने क्रय की थी जिसका प्रमाणपत्र दिनांक 1–7–1954 को जारी किया गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ध्यान न देकर भूल की है। आवेदक के पिता माधुलाल का स्वर्गवास 11–3–2007 को हो गया किन्तु जिलाध्यक्ष ने इसकी जानकारी होते हुये भी उसके उत्तराधिकारियों को पक्षकार बनाये बिना मृत व्यक्ति के विरूद्ध आदेश पारित करने में त्रुटि की है क्योंकि विधि सिद्धांत है कि मृत व्यक्ति के विरूद्ध कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता । अंत में आवेदक अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त कर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया है ।

4/ अनावेदक कमांक 2 प्रकरण में सूचना उपरांत अनुपस्थित रहे । इसलिये अनावेदक कमांक 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है।

5/ अभिलेखों का अवलोकन किया गया । आवेदक अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया गया । प्रकरण में यह विवादित नहीं है कि प्रश्नाधीन भूमि शासकीय पट्टे की थी । आवेदक ने इसे कय किया । नियमानुसार विकय की कलेक्टर से अनुमति लेनी थी जो नहीं ली गई । आवेदक ने ऐसा कोई प्रमाण भी पेश नहीं किया है । बिना विकय की अनुमति के हुआ विकय पत्र अवैधानिक की श्रेणी में आयेगा अतः ऐसे नामान्तरण को निरस्त करने में अपर कलेक्टर ने कोई त्रुटि नहीं की है । आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्यायदृष्टांत पट्टा निरस्त करने के संबंध में है जबकि इस प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही न होने से वह इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं ।

6/ फलतः यह निगरानी आधारहीन होने से अमान्य की जाती है।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर